संख्या: 21/2016/1487/12-2-2016-91/2001

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 06 जून, 2016

विषय: दिनांक 23 दिसम्बर को स्व0 चौधरी चरण सिंह, मा0 पूर्व प्रधान मंत्री के जन्म दिवस पर कृषकों को सम्मान स्वरूप दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: प्रसार/आत्मा/318/कि0स0दि0/2015-16 दिनांक 27 जनवरी, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के कृषकों में उत्पादन व उत्पादकता में अधिकतम वृद्धि करने हेतु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना की महती भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में वर्ष 2001 से किसान सम्मान दिवस आयोजित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य स्तर/जनपद स्तर/विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक उत्पादकता के आधार पर राज्य, जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर कृषकों को सम्मानित करने हेतु रबी की फसल गेहूँ, चना, मटर, मसूर एवं राई/सरसों तथा खरीफ की फसल धान, मक्का, उर्द, अरहर (अल्पकालीन) एवं सोयाबीन फसलों पर पुरस्कार वितरित किया जाता है।

राज्य स्तर पर प्रसार सुधार 'आत्मा' योजनान्तर्गत वर्ष 2006-07 से प्रथम/द्वितीय/तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले 10-10 उत्कृष्ट कृषकों को क्रमश: रूपये 20,000/-, रूपये 15,000/- व रूपये 10,000/- की दर से कुल 30 कृषकों को निरन्तर पुरस्कार वितरित किया जा रहा है। यह कृषक पुरूष अथवा महिला कोई भी हो सकता/सकती है जिसके अन्तर्गत राज्य स्तरीय पुरस्कार मद में कुल व्यवस्थित धनराशि रूपये 5,00,000/- में से रूपये 4,50,000/- की धनराशि पुरस्कार हेतु तथा रूपये 50,000/- की धनराशि प्रशस्ति-पत्र, शाल एवं परिचय-पत्र आदि के वितरण पर व्यय की जाती है।

उपरोक्त पुरस्कार की दरें वर्ष 2006-2007 से प्रख्यापित हैं। वर्तमान में बढती हुई मंहगाई, कृषि निवेशों के मूल्य तथा खेती की लागत को संज्ञान में लेते हुए शासन द्वारा प्रथम पुरस्कार की धनराशि रूपये 1,00,000/-, द्वितीय पुरस्कार की धनराशि को रूपये 75,000/- तथा तृतीय पुरस्कार की धनराशि को रूपये 50,000/- किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि महिला कृषकों के सशक्तिकरण एवं उन्हे प्रोत्साहित किए जाने के निमित्त पुरस्कार हेतु प्रगतिशील महिला कृषकों को भी सम्मिलित किए जाने का औचित्य पाते हुए तीन प्रगतिशील महिला कृषकों को भी पुरस्कृत किए जाने का निर्णय लिया गया है। दस जिन्सों की श्रेणी के अतिरिक्त प्रगतिशील महिला कृषकों को ग्यारहवीं श्रेणी बनायी जायेगी। इस प्रकार पुरस्कार के मद में भारत सरकार से प्रसार सुधार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

'आत्मा' योजना में प्राप्त धनराशि को समायोजित करते हुए राज्य सरकार की ओर से अंशदान किया जायेगा। प्रगतिशील कृषकों एवं प्रगतिशील महिला कृषकों को निम्नानुसार पुरस्कार वितरित किया जायेगा:-

क्र0सं0	कृषक पुरस्कार (श्रेणी)	प्रगतिशील कृषक	पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कार की धनराशि (रूपये में)
1	प्रथम पुरस्कार	10	10	1,00,000XXX10=10,00,000
2	द्वितीय पुरस्कार	10	10	75,000XXX10= 7,50,000
3	तृतीय पुरस्कार	10	10	50,000XXX10= 5,00,000
	योग		**30**	**22,50,000**

क्र0सं0	कृषक पुरस्कार (श्रेणी)	प्रगतिशील महिला कृषक	कुल पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कार की धनराशि (रूपये में)
1	प्रथम पुरस्कार	01	01	1,00,000XXX1=1,00,000
2	द्वितीय पुरस्कार	01	01	75,000XXX1= 75,000
3	तृतीय पुरस्कार	01	01	50,000XXX1= 50,000
	योग		03	2,25,000
	महायोग		**33**	**24,75,000**

2. यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 के अशासकीय पत्र संख्या: ई-1-279/दस-2016 दिनांक 31 मई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

अत: कृपया उक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 21/2016/1487(1)/12-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।